

(24) (57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1184-एक/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 11-12-2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 246/अ-21/2012-13

धर्मेन्द्र कुमार बाजपेई आत्मज स्व० जुगलकिशोर बाजपेई
निवासी ग्राम केहरपुर जिला मण्डला

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1-श्रीमती आसमा बेगम पत्नी मोहम्मद ताहिर खान
निवासी माउन्टफोर्ट स्कूल के पास देवदरा
जिला मण्डला
- 2-मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर मण्डला

.....अनावेदकगण

.....
श्री एम०एम०मुदगल, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण-एकपक्षीय

.....
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/11/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-12-2012 से परिवेदित होकर म०प्र०भू-राजस्व संहिता की धारा, 1959 (जिसे संक्षेप में आगे केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम देवदरा की भूमि खसरा नम्बर 44/2 रकबा 0.018 हेक्टर के भूमिस्वामी है । आवेदक ने उक्त भूमि का डायवर्सन हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जो प्रकरण क्रमांक 555/332/अ-2/2008-09 में पारित आदेश दिनांक

Dev

6-6-2009 से स्वीकार किया गया । मण्डला जिला अधिसूचित आदिम जनजाति का निर्दिष्ट क्षेत्र होने के कारण परिवर्तित भूमि की बिक्री हेतु कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होने से आवेदक ने उक्त खसरा नम्बर 44/2 के रकबा 0.018 हेक्टर अर्थात् 2000 वर्गफुट भूमि अनावेदक को विक्रय करने का अनुबंध पैसों की आवश्यकता होने के कारण 2,50,000/- अंकन दो लाख पचास हजार रुपये में कर लिया । कलेक्टर जिला मण्डला के समक्ष उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 17/अ-21/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 8-2-2011 से इस आधार पर खारिज किया कि खसरा नम्बर 44 रकबा 3.10 हेक्टर वर्ष 1979-80 स 1982-83 तक शासन निहित रही है उक्त भूमि किन कारणों से शासन निहित हुई, का कारण आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख नहीं किया । आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 580/अ-21/2010-11 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 21-8-2012 से खारिज किया गया । आवेदक ने पुनः उक्त आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया जो प्रकरण क्रमांक 246/अ-21/2012-13 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 11-12-2012 से पुनर्विलोकन निरस्त किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-12-2012 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्कों में बताया कि आवेदक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 44/2 रकबा 0.018 हेक्टर के भूमिस्वामी है और उसने उक्त भूमि को चूँकि डायवर्टेड(परिवर्तित) करा लिया था जिसकी प्रविष्टि संबंधित खसरे में थी, में से रकबा 2000 वर्गफुट अनावेदिका को विक्रय करने की अनुमति चाही थी जिसके संबंध में कलेक्टर जिला मण्डला द्वारा मात्र

West

आवेदक के स्वत्व की प्रविष्टि को राजस्व कागजात में देखना था उसके डायवर्सन होने संबंधी आदेश का अवलोकन कर विक्रय की अनुमति देनी थी। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक जाँच कराई गई जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के वर्ष 1979-1980 से 1982-1983 तक खसरे में शासन की प्रविष्टि के बारे में जानकारी चाही थी तथा उक्त भूमि पुनः पूर्व भूमिस्वामी नंदकिशोर वगैरह किस आधार पर दर्ज हुये, के संबंध में जानकारी चाही और इसी जानकारी के अभाव में प्रकरण निरस्त कर दिया गया। राजस्व अभिलेख को सही रूप से संधारित करने का दायित्व राजस्व अधिकारियों का है। तर्क में यह भी बताया कि विचारण न्यायालय को चाहिये था कि वह विभाग से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके आवेदक द्वारा इस संबंध में जानकारी देने में उसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया इन प्रविष्टियों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन में निहित हुई इस कारण वादग्रस्त भूमि के संबंध में शासन की प्रविष्टि राजस्व कागजात में की गई। अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी मण्डला को पक्षकार बनाते हुये एक व्यवहारनाद क्रमांक 39-अ/1979 व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया था जिसमें निर्णय जय पत्र दिनांक 10-4-80 से उक्त भूमि कृषि सीलिंग से मुक्त की गई थी तब से भूमि पुनः भूमिस्वामी नंदकिशोर के नाम दर्ज हुई तब से निरन्तर दर्ज चली आ रही है। तर्क में यह भी कहा कि संहिता की धारा 117 के प्रावधानों के अनुसार भू-अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा दी जायेगी कि वे सही है जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये अतः अधीनस्थ न्यायालयों को राजस्व कागजात में आवेदक के संबंध में प्रविष्टि पर कोई शंका करने का आधार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त कागजातों की प्रविष्टि को समझने में गंभीर भूल की है। अंत में आवेदक




अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4/ अनावेदकपक्ष के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अनावेदकपक्ष के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 10-04-1980 की छायाप्रति प्रस्तुत की है लेकिन उक्त आदेश जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि किसी भी स्तर पर पेश नहीं की गई, में भी यह स्पष्ट नहीं होता कि अनुविभागीय अधिकारी के सिलिंग में भूमि को शासन में निहित करने के आदेश को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब और किस आदेश से निरस्त किया गया क्योंकि व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10-04-1980 द्वारा इसे निरस्त नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को पुनः नन्दकिशोर के नाम दर्ज होने पर जो शंका उठाई है उसका स्पष्ट समाधान करने में आवेदक असफल रहा है।

6/ उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी अमान्य की जाती है। इसके साथ ही कलेक्टर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त तथ्य की पूर्ण जाँच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।


(मनोज गोयल)

प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर